न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर०ए०एस

मुकदमा नं0 57 / 2024

1. बेणाराम पुत्र रामु
2. हनुमान पुत्र रामु
3. बिरदी पुत्री रामु
4. कमलादेवी पत्नि लूणाराम
5. पोखरमल पुत्र लूणाराम
6. सुरेशचन्द घोसल्या पुत्र लूणाराम
7. मन्नादेवी पुत्री लूणाराम
8. संतोष पुत्री लूणाराम

समस्त जाति जाट नि0 घोसल्या की ढाणी मेदपुरा ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी तह0 जोबनेर जिला जयपुर

9. मानाराम पुत्र गोविन्द
10. कानाराम पुत्र गोविन्द
11. दानाराम पुत्र गोविन्द
12. हेमराज पुत्र गोविन्द

समस्त जाति जाट नि0 भैसलाना तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर।

अपीलान्टस

बनाम

ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर।

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 79 एवं 706 दिनांक 05 / 08 / 2024 ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी तहसील जोबनेर

1. श्री बबलू कुमावत वकील अपीलान्ट

दिनांक :— 10 / 01 / 2025

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि खाता नंबर 44 की आराजीयात खसरा नम्बर 71/10, 71/14, 71/19, 71/21, 71/28, 71/33, 71/45, 71/47, 71/54, 71/60 कुल किता 10 कुल रकबा 5.1087 हे0 तथा खाता संख्या 45 के आराजी ख0नं0 74/54 रकबा 0.6449 वाकै ग्राम मेदपुरा पटवार मण्डल जोबनेर तहसील जोबनेर में स्थित है। खाता संख्या 48 की आराजी ख0नं0 64/1 रकबा 2.3267 हे0 वाकै ग्राम बंशीपुरा पटवार मण्डल जोबनेर तह0 जोबनेर में स्थित है। उक्त खाता संख्या 44, 45 व 48 में कानी देवी पत्नि रामू 1/6 की रिकार्डेड खातेदार थी। कानी पत्नि रामू का दिनांक 23.03. 2020 को स्वर्गवास हो गया। कानी के वारिसान क्रमशः लूणाराम, बेणाराम, हनुमानलाल, बिरदी देवी एवं पन्नी देवी थे। कानी का फौती नामा0 खुलने के पूर्व ही लूणाराम का दिनांक 06.03.2024 को स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान अपीलांट सं0 4 लगायत 8 है। पन्नी का भी स्वर्गवास होग गया जिसके वारिसान अपीलांट सं0 9 लगायत 12 है। जिन्होने पटवारी हल्का के समक्ष कानी का फौती नामा0 खोलने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर खाता नंबर 44, 45 की आराजी वाकै मेदपुरा प0ह0 जोबनेर का नामा0 सं0 79 एवं खाता संख्या 48 की आराजी वाकै ग्राम बंशीपुरा का नामा0 706 पटवारी हल्का ने दिनांक 06.07.2024 को खोला जाकर ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी के समक्ष पेश किया उक्त विरासत का नामा0 सं0 79, 706 ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी ने दिनांक 05.08.2024 को खारिज कर दिया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट पोखरमल दिनांक 13.11.2024 को पटवारी हल्का से जानकारी करने गया तब हुयी जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त होने जानकारी से अंदर मियाद है।

कथित नामा0 विरासत से प्राप्त शुदा भूमि का है जिस पर अपीलान्टस जो मृतका के विधिक वारिस है मौके पर काबिज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी वैधानिक जांच के नामा0 खारिज किया गया है। इसलिए रैस्पोडेन्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय के नेंसर्गिक सिद्धातों के विपरीत है। जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 79 एवं 709 दिनांक 05/08/2024 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 79 एवं 709 दिनांक 05/08/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। आराजीयात खसरा नम्बर 71/10, 71/14, 71/19, 71/21, 71/28, 71/33, 71/45, 71/47, 71/54, 71/60 कुल किता 10 कुल रकबा 5.1087 हे0 तथा खाता संख्या 45 के आराजी ख0नं0 74/54 रकबा 0.6449 वाकै ग्राम मेदपुरा तथा आराजी ख0नं0 64/1 रकबा 2.3267 हे0 वाकै ग्राम बंशीपुरा पटवार मण्डल जोबनेर तह0 जोबनेर अपीलान्टस की पुश्तैनी आराजीयात हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा फौती नामान्तकरण खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः नामान्तरण संख्या 79 एवं 709 दिनांक 05/08/2024 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 79 एवं 709 दिनांक 05/08/2024 सरपंच ग्राम बबेरवालों की ढाणी तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/2025
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर